संख्या-357/2017/510/22-2-2017-17(06)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 24 मई, 2017

विषय:- जिला कारागार, कानपुर नगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मंसूर अली पुत्र श्री मंजूर अली, निवासी जनपद-कानुपर नगर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-35001/प्रोबेशन-7(एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 26.09.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार सिद्धदोष बन्दी मंसूर अली पुत्र श्री मंजूर अली, निवासी-मं0न0-102/138 चूड़ी मोहाल कर्नलगंज, थाना-कर्नलगंज, जनपद-कानपुर नगर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पत्नी की तबियत खराब होने तथा घर का कामकाज कराने के बहाने से अपनी साली सना को दिनांक 25-07-2010 को अपने घर कानपुर लाया और वहां से घुमाने के बहाने दिल्ली ले गया, दिल्ली में होटल में कमरा लेकर उसके साथ 03 दिन तक बलात्कार किया तथा उसकी अश्लील तस्वीर खींचकर उसे धमकी देता रहा। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-495/2011 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-376 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, (त्वरित न्यायालय) कानपुर नगर द्वारा दिनांक 01.07.2015 को 08 वर्ष के कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.05.2016 तक 05 वर्ष 06 माह 13 दिन की अपरिहार तथा 05 वर्ष 08 माह 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण सन्तोषजनक है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कानपुर नगर द्वारा आख्या में अंकित किया है कि बन्दी भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, सामाजिक व आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने के दृष्टिगत रखते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अभिमत में अंकित किया है कि बन्दी द्वारा पत्नी की तबियत खराब होने तथा घर का कामकाज कराने के बहाने से अपनी साली को दिनांक 25-07-2010 को अपने घर कानपुर लाया और वहां से घुमाने के बहाने दिल्ली ले गया, दिल्ली में होटल में कमरा लेकर उसके साथ 03 दिन तक बलात्कार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

किया तथा उसकी अश्लील तस्वीर खींचकर उसे धमकी देता रहा। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मंसूर अली पुत्र श्री मंजूर अली, निवासी जनपद-कानपुर नगर को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी मंसूर अली (बन्दी संख्या-554/15) पुत्र श्री मंजूर अली, निवासी जनपद-कानपुर नगर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-357/2017/510(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, कानपुर नगर।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-357/2017/510@22-2-2017-17(06)/2016

दिनांक 24 मई, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

जिला कारागार, कानपुर नगर में निरूद्ध बन्दी मंसूर अली (बन्दी संख्या-554/15) पुत्र श्री मंजूर अली, निवासी-मं0न0-102/138 चूड़ी मोहाल कर्नलगंज, थाना-कर्नलगंज, जनपद-कानपुर नगर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पत्नी की तबियत खराब होने तथा घर का कामकाज कराने के बहाने से अपनी साली सना को दिनांक 25-07-2010 को अपने घर कानपुर लाया और वहां से घुमाने के बहाने दिल्ली ले गया, दिल्ली में होटल में कमरा लेकर उसके साथ 03 दिन तक बलात्कार किया तथा उसकी अश्लील तस्वीर खींचकर उसे धमकी देता रहा। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-495/2011 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-376 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, (त्वरित न्यायालय) कानपुर नगर द्वारा दिनांक 01.07.2015 को 08 वर्ष के कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.05.2016 तक 05 वर्ष 06 माह 13 दिन की अपरिहार तथा 05 वर्ष 08 माह 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण सन्तोषजनक है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कानपुर नगर द्वारा आख्या में अंकित किया है कि बन्दी भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, सामाजिक व आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने के दृष्टिगत रखते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अभिमत में अंकित किया है कि बन्दी द्वारा पत्नी की तबियत खराब होने तथा घर का कामकाज कराने के बहाने से अपनी साली को दिनांक 25-07-2010 को अपने घर कानपुर लाया और वहां से घुमाने के बहाने दिल्ली ले गया, दिल्ली में होटल में कमरा लेकर उसके साथ 03 दिन तक बलात्कार किया तथा उसकी अश्लील तस्वीर खींचकर उसे धमकी देता रहा। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मंसूर अली पुत्र श्री मंजूर अली, निवासी जनपद-कानपुर नगर को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in